क्रमांक एफ 3-7/2016/41-2 : सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के आदेश दिनांक 06/12/2014 के द्वारा सभी विभागों में रू. 2 लाख से अधिक की निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश दिनांक 13/08/2018 के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एन.आई.सी. का चयन सेवा प्रदाता के रूप में किया गया है। ई-टेंडरिंग व्यवस्था को लागू करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) ई-टेंडरिंग व्यवस्था में भाग लेने के लिये निविदाकर्ता को एन.आई.सी. द्वारा संस्थापित पोर्टल (https://mptenders.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रथम वर्ष के लिये पंजीयन शुल्क रू. 500/- होगा, जिसका वार्षिक नवीनीकरण एक वर्ष पश्चात् कराना होगा। नवीनीकरण शुल्क रू. 100/- प्रतिवर्ष होगा। दिनांक 30/11/2018 तक पंजीयन निःशुल्क किया जा सकेगा। पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। दिनांक 30/11/2018 तक पंजीयन निःशुल्क किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि में वार्षिक नवीनीकरण नहीं होने पर पुनः पंजीयन कराना होगा, जिसके लिए रु. 500/- शुल्क देय होगा।

(2) निर्माण विभाग से संबंधित निविदाओं में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता का पंजीयन नियमानुसार लोक निर्माण विभाग से कराना अनिवार्य होता है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लोक निर्माण विभाग में पूर्व से पंजीकृत निविदाकर्ताओं को भी ई-टेंडरिंग पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

(3) ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन में समस्त लेन-देन इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जाने हैं। इस हेतु इंडसइंड बैंक का चयन किया गया है। इंडसइंड बैंक द्वारा ई-टेंडरिंग व्यवस्था में होने वाले ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा इंडसइंड बैंक में 02 खाते खोले जायेंगे, एक खाता ऐसे समस्त-विभागों के लिये होगा, जिन्हें कोषालय के माध्यम से लेन-देन करना अनिवार्य है एवं दूसरा खाता सार्वजनिक उपक्रमों के लिये होगा, जिनके लेन-देन बैंकों के माध्यम से किये जाते हैं।

(5) प्रत्येक निविदा के संबंध में प्रक्रिया पूर्ण होने पर टेंडर फीस का भुगतान संबंधित विभाग अथवा उपक्रम को किया जायेगा। इस हेतु उपक्रमों के लिये बैंक खाते का पूरा विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर संबंधित उपक्रम द्वारा दर्ज किया जायेगा। शासकीय विभागों के द्वारा पोर्टल पर भरी गई जानकारी के आधार पर कोषालय में जमा करने हेतु चालान की प्रति इंडसइंड बैंक द्वारा तैयार की जायेगी, जिसमें विभागीय आय का शीर्ष दर्ज होगा। शासकीय खाते में सायबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान जमा करने का दायित्व इंडसइंड बैंक का होगा।

(6) वर्तमान में विभागों में ई.एम.डी. प्राप्त करने की अलग-अलग प्रक्रिया प्रचलित है, कुछ विभागों में इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. ली जाती है वहीं कुछ विभागों में बैंक ड्राफ्ट, बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर. के

माध्यम से ई.एम.डी. ली जाती है । नए पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

(7) निविदा में भाग लेने के लिये पंजीकृत निविदाकर्ता को ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपने लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा तथा संबंधित निविदा का चयन करना होगा । निविदा में भाग लेने के लिए निविदाकर्ता को टेंडर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं ई.एम.डी. (इलेक्ट्रानिक ई.एम.डी. जमा करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध) का भुगतान करना होगा । यह तीनों प्रकार के भुगतान एक ही बार में नेट बैंकिंग/ आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किये जा सकते हैं । आर.टी.जी.एस./ एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किये गये भुगतानों की पुष्टि निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् पोर्टल से की जा सकेगी ।

(8) निविदा की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर अयोग्य निविदाकर्ता की ई.एम.डी. वापस करने की सुविधा उपलब्ध है । तकनीकी परीक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे निविदाकर्ता को निविदा अस्वीकृति का कारण ज्ञात हो सकेगा । यह जानकारी सर्वसाधारण को भी उपलब्ध रहेगी । तकनीकी परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर पोर्टल के माध्यम से इंडसइंड बैंक को इस आशय की सूचना प्रेषित की जायेगी । पोर्टल से सूचना प्राप्त होने के आगामी कार्य दिवस में बैंक द्वारा संबंधित निविदाकर्ता को ई.एम.डी. की राशि वापस की जायेगी । राशि की वापसी नेट बैंकिंग/ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से उसी बैंक खाते में की जायेगी, जिसके माध्यम से राशि पूर्व में जमा की गई हो ।

(9) तकनीकी परीक्षण में योग्य पाये गए निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तावित निविदा मूल्य को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जायेगा । यह जानकारी भी सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध रहेगी ।

(10) सफल निविदाकर्ता के द्वारा विभाग के साथ अनुबंध किये जाने उपरांत विभागीय अधिकारियों के द्वारा वर्क आर्डर जारी किया जायेगा । निविदाकर्ता के साथ किये गये अनुबंध एवं वर्क आर्डर का विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा । यह विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के पश्चात् पोर्टल से ई.एम.डी. वापस करने की सूचना इंडसइंड बैंक को दी जायेगी । तकनीकी परीक्षण में योग्य पाये गये शेष निविदाकर्ताओं की ई.एम.डी. उपरोक्त पैरा-8 में दिये गये निर्देश के अनुरूप वापस की जा सकेगी ।

(11) प्रत्येक निविदा के संबंध में निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि के एक दिवस पश्चात् प्राप्त टेंडर फीस का भुगतान इंडसइंड बैंक द्वारा संबंधित विभाग अथवा उपक्रम को किया जायेगा । इस हेतु उपक्रमों के लिये बैंक खाते का पूरा विवरण ई-टेंडरिंग पोर्टल पर संबंधित उपक्रम द्वारा दर्ज किया जायेगा । शासकीय विभागों के प्रकरणों में विभाग द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर चालान की प्रति तैयार की जायेगी, जिसमे विभागीय आय का शीर्ष दर्ज होगा । शासकीय खाते में सायबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान जमा करने का दायित्व इंडसइंड बैंक का होगा । प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक जमा किये गये चालानों का विवरण तथा उपक्रमों के बैंक खातों में जमा राशि का विवरण आगामी माह की 5 तारीख तक पोर्टल पर उपलब्ध कराने का दायित्व भी इंडसइंड बैंक का होगा ।

(12) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर उपलब्ध जमा राशि के विवरण का मिलान कोषालय से अथवा उपक्रमों के बैंक खातों से किया जाना होगा । इस मिलान का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग / उपक्रम के उन अधिकारियों का होगा, जिन्हें यह दायित्व सौंपा गया हो ।

(13) एन.आई.सी. के माध्यम से ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया में होने वाला व्यय एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा वहन किया जाना है, इस हेतु निविदाकर्ताओं से ली जाने वाली प्रोसेसिंग फीस

एवं पंजीयन फीस एम.पी.एस.ई.डी.सी. को प्राप्त होगी। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के एक दिवस पश्चात् प्रोसेसिंग फीस की राशि एम.पी.एस.ई.डी.सी. के द्वारा निर्धारित किये गये बैंक खाते में जमा करने का उत्तरदायित्व इंडसइंड बैंक का होगा। पोर्टल पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पिछले माह में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस एवं पंजीयन फीस की जानकारी इंडसइंड बैंक द्वारा अपलोड की जायेगी।

(14) निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यदि कोई निविदा निरस्त की जाती है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रोसेसिंग फीस तथा ई.एम.डी. की राशि निविदाकर्ता को वापस की जावेगी। यदि निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात निविदा निरस्त की जाती है तो निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि में से मात्र ई.एम.डी. की राशि निविदाकर्ता को वापिस की जावेगी।

(15) एन.आई.सी. के द्वारा विकसित पोर्टल पर निविदाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने तथा ई.एम.डी. की राशि जब्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।